सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025 / 399 दर्ज तिथिः–05.06.2025

1. भाखरसिंह पुत्र हरदाराम
   जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. देरामा पुत्र वगता
2. भेराराम पुत्र वगता
3. मदन पुत्र वगता
   कौम विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर

................असल अप्रार्थीगण

4. मैनेजर शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.... तकमिली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री प्रगाराम बोगराज
अप्रार्थीगणः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–29.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 / 4.0711 है0 मौजा बारासण तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 561 / 4.5082 है0 मौजा बारासण तहसील गुड़ामालानी से होते हुए कट्टाण रास्ते तक चालू है परंतु विप्रार्थी के खसरा संख्या 561 मौजा बारासण में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 561 से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के

अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामील बाद असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब मय परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः–

- कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 561/4.5082 में से रास्ता चाहा गया है। परंतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 561/4.5082 में से प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के रूम में कभी भी आवागमन नहीं किया गया है एवं ना ही मौके पर रास्ता चालू है।
- कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में पहुंच हेतु मौके पर खसरा संख्या 545 में से रास्ता वर्तमान में भी चालू है। जिसका प्रार्थीगण लम्बे समय से रास्ते के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। उक्त रास्ता प्रार्थीगण हेतु सबसे नजदीकी एवं सुगम रास्ता है। साथ ही खसरा संख्या 562/4 प्रार्थी के सहखातेदार से अलग हुई भूमि है इसलिए प्राथमिक स्तर पर सहखातेदार वाला खसरा में से ही प्रार्थी को रास्ता प्रदान करावे।
- कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 560 में आने–जाने हेतु मौके पर प्रार्थी के खेत खसरा के पड़ौसी खेत खसरा संख्या 679/559 में से रास्ता चलायमान है जो मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है एवं निकटतम दुरी है। अन्य विकल्प के रूप में प्रार्थी के खेत के पड़ौसी खेत खसरा संख्या 546 व 547 में भी रास्ता चलायमान है वह भी मुख्य सड़क से जोड़ता है। जबकि अप्रार्थीगण के खेतों में समर्पण अपने ही खेतों में है जो मुख्य सड़क से नही जुड़ता है।
- कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–अ में दर्शाये रास्ते के स्थान पर भूमि मौके पर खाली नहीं है। परिशिष्ट–अ में दर्शायी गई भूमि पर अप्रार्थीगण के ढाणी, मकान, सिंचाई का कुआ एवं पशुओं के बाड़े पहले से बने हुए है। साथ ही ना ही उक्त प्रस्तावित स्थान को रास्ते के रूप में कभी उपयोग में लिया जा रहा है।
- कि अप्रार्थीगण के घर तक आने जाने हेतु अपनी ही खातेदारी में से केवल निजी रास्ते एवं अपने आवास और ढाणियो को जोड़ने हेतु भूमि समर्पण करवाई है। सार्वजनिक एवं गवाई रास्ते हेतु अप्रार्थीगण द्वारा भूमि समर्पण नहीं करवाई है।
- कि प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट–अ में अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 561 में से रास्ता चाहा गया है। जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर नहीं आकर बिना अप्रार्थीगण को सुने तहसील कार्यालय में बैठकर मौका फर्द बनाकर तहसीलदार गुड़ामालानी के मार्फत न्यायालय में प्रेषित कर दी गई। जिस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान नहीं है एवं उक्त मौका रिपोर्ट में निकटतम रास्ता/गोवा को नजरअंदाज करते हुए तैयार की गई जो अपने आप अपूर्ण है एवं काबिल ए खारिज है।

- कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में बरंग हरा रास्ता विकल्प प्रस्तावित किया गया हैं। जबकि उक्त प्रस्तावित रास्ते पर अप्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों की रहवासी ढाणी, चारबाड़े, टांके आदि बने हुए हैं। जिसका मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खेत को दो भागो में विभक्त करने एवं बेवजह अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से अप्रार्थीगण की उक्त आराजी में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जो केवल सुविधा पूर्ण सुख भोग के अन्तर्गत आता है इसलिए काबिले खारिज है।
- कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 561 में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। जो विधिविरूद्ध है।
- अंत में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 में पहुंच हेतु वर्तमान में मौके पर चालू रास्ता खसरा संख्या 545 में से एवं अन्य विकल्प 679/559 में से प्रस्तावित किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार पुनः मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1560 दिनांक 29.09.2025 अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	भू—अभिलेख निरीक्षक, गुड़ामालानी मय पटवारी मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट का नजरी नक्शा निम्न प्रकार हैः—

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी की आराजी तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से रास्ता चलायमान नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

कानूनी—प्रावधान

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) <u>the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding</u>; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that <u>absence of alternative means of access proved</u> may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, <u>through the shortest or nearest route,</u> or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted <u>or in lieu of payment of compensation,</u>* ***<u>on transfer of land in exchange of equal area</u>***

<u>in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.</u>

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) <u>the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding</u>; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that <u>absence of alternative means of access is proved,</u> may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by

the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैं:—

1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त

रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–3 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1560 दिनांक 29.09.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम बारासण तहसील गुड़ामालानी के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैं:–

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड / कट्टाण रास्ते / सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी रास्ते / सड़क को धारा–251–ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते / सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता

चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड／कट्टाण रास्ते／सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक नहीं होकर केवल सुविधाजनक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

4. चतुर्थ स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड／कट्टाण रास्ते／सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह स्थिति हो सकती है कि जिन खसरों से रास्ते का अंकन नहीं चाहा गया है वो कोई प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि यथा—चारागाह, नदी, नाले आदि के खसरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि से होकर रास्ते के अंकन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में केवल खातेदारी भूमि से होकर रास्ते का अंकन तथा प्रतिबंधित भूमि में रास्ते का गैर—अंकन अपेक्षित होता है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—3 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक／भू.अ.／2025／1560 दिनांक 29.09.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम बारासण के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। उक्त प्रकरण स्थिति संख्या 01 के अंतर्गत आता है। प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 मौजा बारासण है। प्रार्थी

द्वारा खसरा संख्या 560 के सेढे पर अवस्थित कट्टाण रास्ते से अपनी खातेदारी आराजी तक रास्ते हेतु आवेदन किया है। प्रकरण में खसरा संख्या 560 के सेढे पर अवस्थित कट्टाण रास्ते से प्रार्थी के खातेदारी आराजी के मध्य अवस्थित खसरा संख्या 561 में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को नवीन रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आत्यांतिक प्रतीत होती है। इस प्रकार शर्त संख्या 02 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

11. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी 560 मौजा बारासण में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 561 मौजा बारासण में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 मौजा बारासण के सेढे से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक ⁄ भू.अ. ⁄ 2025 ⁄ 1560 दिनांक 29.09.2025 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 561 मौजा बारासण से होकर प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक ⁄ भू.अ. ⁄ 2025 ⁄ 1560 दिनांक 29.09.2025 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 561 मौजा बारासण से होकर वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक ⁄ भू.अ. ⁄ 2025 ⁄ 1560 दिनांक 29. 09.2025 के अवलोकन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मार्ग ही लघुत्तम व व्यावहारिक मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक ⁄ भू.अ. ⁄ 2025 ⁄ 1560 दिनांक 29.09.2025 द्वारा प्रस्तावित वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। दौरान—ए—मौका निरीक्षण संज्ञान में आया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदित रास्ते के मार्ग पर खसरा संख्या 561 में मौका निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा में हरा रंग से अंकित भाग पर मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य रास्ते में आई भूमि के एवज में भूमि बरंग लाल का विनिमय करने हेतु समझाईश की गई। परंतु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विकल्प पर

रजामंदी जाहिर नहीं की गई। जबकि उक्त विकल्प पर प्रार्थी द्वारा रजामंदी जाहिर की गई।

7. इस प्रकार उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1560 दिनांक 29.09.2025 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1560 दिनांक 29.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 561 में से बरंग हरा से अंकित मार्ग पर गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान तथा गैर मुमकिन रास्ते की क्षतिपूर्ति प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा संख्या 560 में से बरंग लाल भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2025/1560 दिनांक 29.09.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन एवं विश्लेषित निष्कर्षानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 561 मौजा बारासण से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 तक प्रार्थी द्वारा वांछित/इच्छित चौडाई, जो कि चौडाई में अधिकतम 30 फीट तक हो, के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के नियमानुसार भुगतान पश्चात् अथवा प्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। पत्रांक/भू.अ./2025/1560 दिनांक 29.09.

2025 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी